भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 999

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

999. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-61 और राष्ट्रीय राजमार्ग-160 सहित प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेषकर मानसून के महीनों के दौरान गड्ढों और संबंधित दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राजमार्गों पर राजमार्ग-वार दुर्घटनाओं, मौतों और घायल होने की कितनी सूचनाएं मिली हैं;

(ग) क्या एनएचएआई के ठेकेदारों और रियायतग्राहियों के रख-रखाव और कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई तकनीकी या सुरक्षा संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घटिया रख-रखाव के मामलों में जवाबदेही तय की गई है और ऐसे कितने मामले हैं जहां जुर्माना लगाया गया है या काली सूची में डाला गया है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए कितनी निधि आवंटित, संस्वीकृत और उपयोग की गई है; और

(च) राज्य में गड्ढों की समय पर मरम्मत, आधुनिक रख-रखाव प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बार-बार होने वाली सड़क क्षति और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) एनएच-48, एनएच-61 और एनएच-160 पर तेज गति से वाहन चलाने, लापरवाही से वाहन चलाने, हेलमेट न पहनने, शराब पीकर वाहन चलाने आदि कारणों से दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्रों पर दर्ज दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या निम्नानुसार है:

एनएच संख्या.	रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं की संख्या	रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या	रिपोर्ट की गई घायलों की संख्या
48	3287	1589	2499
61	668	338	586
160	200	184	132

(ग) से (घ) रखरखाव कार्य की गुणवत्ता का आकलन समय-समय पर किए जाने वाले एनएसवी सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही, एनएचएआई द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं। उनके द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपायों, यदि कोई हो, को परियोजनाओं में लागू किया जाता है। अवमानक रखरखाव के मामलों और एनएचएआई द्वारा लगाए गए जुर्माना का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संविदाकार का नाम	लगाया गया जुर्माना/की गई कार्रवाई
1	एनएच-48 के पुणे-सतारा खंड का 6 लेन का निर्माण	मैसर्स पुणे सतारा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	रियायतग्राही पर 03/10/2022 से 31/03/2025 की अवधि के लिए 76.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
2	एनएच-48 के सतारा-कागल खंड का 6-लेन का निर्माण, पैकेज-II	मैसर्स कागल सतारा रोड प्राइवेट लिमिटेड	रियायतग्राही, मैसर्स कागल सतारा रोड प्राइवेट लिमिटेड पर वित्त वर्ष 2024-25 में 8.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
3	ईपीसी के तहत एनएच-48 के सूरत-दहिसर खंड पर किमी 381 से किमी 502 तक मौजूदा बिटुमिनस कैरिजवे और सर्विस रोड पर व्हाइट टॉपिंग का कार्य।	निर्मल बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	संविदाकार को 22.04.2025 से 23.11.2025 तक 8 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।
4	एनएच-166 के रत्नागिरी कोल्हापुर, खंड का 4-लेन का निर्माण पैकेज-I	रत्नागिरी अम्बाघाट हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	3.18 करोड़ रुपये (क्षतिपूर्ति (i) मौजूदा राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में न रखने, सीए के खंड 13.6 के अनुसार ड्रोन वीडियो प्रस्तुत न करने और पीक्यूसी कार्यों के पूरा होने के बाद)
5	एनएच-166 के रत्नागिरी कोल्हापुर, खंड का 4-लेन	मैसर्स कोल्हापुर रत्नागिरी हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड	3.07 करोड़ रुपये (मौजूदा राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में न रखने के

	का निर्माण पैकेज-II		कारण हुए नुकसान के लिए)
6	एनएच-166 के रत्नागिरी कोल्हापुर, खंड का 4-लेन का निर्माण पैकेज-III	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	3.61 करोड़ रुपये (मौजूदा राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में न रखने के कारण हुए नुकसान के लिए)
7	एनएच-848 के वडापे-गोंडे खंड का 4-लेन का निर्माण	मैसर्स इगतपुरी हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड	7.6 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव तथा पीआर चूक के नुकसान के लिए)
8	एनएच-60 के धुले से पिंपलगांव खंड का 4-लेन में निर्माण	मैसर्स इरकॉन सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	1.47 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव तथा पीआर चूक के नुकसान के लिए)

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटन	व्यय
2022-23	387 करोड़ रुपये	387 करोड़ रुपये
2023-24	365 करोड़ रुपये	365 करोड़ रुपये
2024-25	595 करोड़ रुपये	410 करोड़ रुपये
2025-26 (31.12.2025 तक)	400 करोड़ रुपये	289 करोड़ रुपये

(च) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और इसके साथ ही जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन मोड अर्थात् (i) निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) में कार्यान्वित की जाती हैं। निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए रखरखाव सहित रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष होती है, जबकि हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के लिए यह आमतौर पर 15 वर्ष होती है। रियायतग्राही परियोजना की रियायत अवधि के दौरान संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। केवल ईपीसी परियोजनाओं के मामले में, दोष देयता अवधि (डीएलपी) बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए 5 वर्ष और कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष होती है।

टोल-संचालन-हस्तांतरण (टीओटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) परियोजनाओं के लिए, रखरखाव सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष होती है। संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि आम तौर पर 9 वर्ष होती है।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग से कोई रखरखाव व्यय दर्ज नहीं किया गया है। डीएलपी और रियायत अवधि के दौरान उपरोक्त अनुबंधों में किए गए व्यय को वर्तमान में लेखा में शामिल नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन सभी शेष खंडों के लिए, जहाँ डीएलपी समाप्त हो चुकी है या जो बीओटी/एचएम/टीओटी/इनविट परियोजना की किसी रियायत अवधि के अंतर्गत नहीं हैं, वहां सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य आमतौर पर 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं।

*****